न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 45/16
(जीसीएमएस संख्या 2017/00095)

निर्णय दिनांकः– 01.02.2024

1. फरसाराम
2. बीरमाराम
3. हरीराम
4. शंकरलाल
5. आईदानराम
6. छगनाराम
7. बरजू
8. भंवरी

अमानी पत्नि स्व. जेठाराम
समस्त जाति जाट निवासी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. धन्नाराम
2. कानाराम

पिसरान खीयाराम जाति जाट निवासी साधूना तहसील नोखा जिला बीकानेर।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 22–05–2013
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 22–05–2015 जिसके द्वारा एकतरफा तौर पर दिनांक 24–02–2010 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके ग्राम साधूना के गत् खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 198 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर448 रकबा 40 बीघा 9 बिस्वा कुल तादादी 102 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के दौराने सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 41 रकबा 3.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 2.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 659 रकबा 1.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 664 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 666 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 667 रकबा 1.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 673 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 679 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 1546/1547 रकबा 2.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 1630/667 रकबा 0.40 हेक्टर कुल तादादी 25.96 हेक्टर भूमि पैमूद हुई है। उक्त भूमि अपीलांट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैरं अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के दौराने वाद विक्रय किये जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानते हुए वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् के पिता स्व. जेठाराम द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–02–2010 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–02–2010 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट्स के पिता स्व. जेठाराम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को नोटिस जारी करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु जारी किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर नोटिस तामीली के संबंध में अभिलिखित किया गया है कि श्रीमान् जी सायल खुद हाजिर नहीं मिला बाहर गया हुआ है। अतः सायल के भतिजे को एक प्रति देकर इतला दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस जोकि जेठाराम के भतीजे पर तामील किया गया था, जेठाराम पर तामील होने की पुष्टि मानते हुए उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् ताफैसला वाद पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत किया गया कृत्य है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पिता पर तामीली की सुनिश्चतता नहीं की गई है वरन् अन्य व्यक्ति अर्थात जेठाराम के भतीजे पर हुए नोटिस तामील को जेठाराम पर तामील मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जोकि स्पष्ट रूप से अपीलांट्स के विधिक अधिकारों का हनन होने की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना सुनिश्चित किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जोकि पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–05–2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 1/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर